न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(80)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2543-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-6-2016 पारित अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 169/2013-14/अपील.

मुकेशदास उर्फ जानकीदास गुरू श्री नारायणदास
निवासी बडा मंदिर रामजानकी, साखनी
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. कैलाश नारायण आत्मज रामचरन सुरवारिया
   निवासी ग्राम साखनी
   तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
2. लखनलाल आत्मज हरचरण लाल
   निवासी साखनी
   तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी एवं
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण
श्री अजय रघुवंशी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 07/11/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 29-6-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सांखनी तहसील भितरवार स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 760, 781, 831 मिन, 1347, 1351, 1352, 1353/1, 1354, 1355, 1902 मिन कुल किता 10 कुल रकबा 9.554 एवं खाता क्रमांक 356 सर्वे क्रमांक 1351/2 व 1352/2 रकबा 238 वर्गफीट भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी नारायणदास गुरू श्री गोपीदास बैरागी

थे । नारायणदास की मृत्यु उपरांत आवेदक मुकेश द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय भितरवार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2007-08/अ-6 में दिनांक 16-5-2008 को आदेश पारित कर वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 कैलाश नारायण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-7-2009 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुन: सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31-8-2010 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । प्रकरण प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 15-5-2012 को आदेश पारित कर आवेदक मुकेश का नामांतरण स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 कैलाश नारायण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 15-1-14 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 15-5-2012 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमियों पर वसीयतकर्ता नारायणदास के स्थान पर वसीयतग्रहीता अनावेदक क्रमांक 1 कैलाश नारायण के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक मुकेश एक अन्य मंदिर श्री मूर्ति राधाकृण (रामजानकी बड़ा मंदिर) प्रबंधक कलेक्टर (पुजारी मृतक नारायणदास वसीयतकर्ता) वसीयतग्रहीता संरक्षक लखनलाल पण्डा के द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष दो पृथक-पृथक द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दोनों अपील प्रकरणों में दिनांक 29-6-2016 को आदेश पारित कर अपीलें निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी श्री नारायणदास थे, जिन्हें उनके गुरू गोपीदास से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, गोपीदास के पूर्व श्री लक्ष्मणदास अभिलिखित भूमिस्वामी थे । आवेदक नारायणदास का पुत्र नहीं है और नारायणदास गोपीदास का पुत्र नहीं है, इससे स्पष्ट है कि भूमि किसी परिवार की सम्पत्ति नहीं है, एक महन्त की मृत्यु बाद उसके शिष्य को उत्तराधिकार में प्राप्त होती रही है ।

2. अपर आयुक्त का विवादित आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि अपर आयुक्त ने स्व. महन्त नारायणदास का भाई होने के कारण अनावेदक कैलाश नारायण का नामांतरण किए जाने का आदेश दिया है । महन्त की सम्पत्ति उत्तराधिकार में उसके उत्तराधिकारी महन्त को ही प्राप्त होती है, महन्त के प्राकृतिक परिवार के सदस्य को ऐसी सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है ।

3. अभिलेख तथा साक्षीगण के कथनों से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि एक महन्त से उसके शिष्य महन्त को उत्तराधिकार में प्राप्त होती रही है । सुलभ संदर्भ के लिए पुरानी राजस्व अभिलेखों की प्रतियां प्रस्तुत की जा रही है, जिनसे प्रमाणित है कि भूमि महन्त की व्यक्तिक सम्पत्ति है, किसी मंदिर अथवा मूर्ति की सम्पत्ति नहीं है एवं उत्तराधिकारी महन्त का नामांतरण उसके गुरू महन्त के स्थान पर होता रहा है ।

4. अभिलेख एवं साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदक स्व. महन्त श्री नारायणदास का शिष्य है । अनावेदकगण अथवा कोई अन्य व्यक्ति अपने आपको श्री नारायणदास का शिष्य होना साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका है । इस न्यायालय के समक्ष मंदिर श्री राधा कृष्ण की ओर से उपस्थित व्यक्ति रमेशचन्द्र ने भी स्वयं स्वीकार किया है कि वर्तमान में आवेदक स्व. श्री नारायणदास के उत्तराधिकारी के रूप में आधिपत्यधारी होकर मंदिर की सेवा पूजा कर रहा है ।

5. श्री नारायणदास की मृत्यु के बाद आवेदक तथा अनावेदकगण ने अपने-अपने हित में की गयी वसीयत के आधार पर नामांतरण किए जाने की प्रार्थना तहसील न्यायालय के समक्ष की गई थी, जिस पर तहसील न्यायालय ने आवेदक का नामांतरण आदेशित किया और अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयत के आधार पर अनावेदक कैलाश नारायण का नामांतरण आदेशित किया एवं अपर आयुक्त ने कैलाश नारायण के हित में की गई वसीयत को मान्यता न देते हुए नारायणदास का भाई होने के कारण अनावेदक कैलाश नारायण का नामांतरण किए जाने के आदेश दिए गए हैं ।

6. अनावेदक क्रमांक 2 लखनलाल ने तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की है, अत: उसके विरूद्ध तहसील का आदेश अंतिम हो चुका है ।

7. तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कैलाश नारायण ने अपील की थी और अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयतनामें के आधार पर कैलाश नारायण का नामांतरण आदेशित किया था, भाई होने के आधार पर नहीं । इस कारण भाई होने के आधार पर कैलाश नारायण का नामांतरण किया ही नहीं जा सकता ।

8. जहां तक आवेदक के हित में की गई वसीयत का प्रश्न है, उक्त वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है । तहसीलदार के समक्ष वसीयत के पंजीयनकर्ता उप पंजीयक नका कथन लिया गया है । उप

पंजीयक अपने कथन के समय अपने पंजीयन कार्यालय का अभिलेख लेकर भी आए थे और उन्होंने अपने कथन में कहा कि महन्त नारायणदास का फोटो वसीयत पर चस्पा है, इन्होंने ही दस्तावेज पर अंगूठा चिन्ह लगाया था । उप पंजीयक ने अपने कथन में यह भी कहा था कि वसीयत होते समय पक्षकार के बयान लिये जाते हैं, वसीयतकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाने पर ही वसीयत प्रमाणित करते हैं ।

9. ग्राम सांखनी के राधा कृष्ण मंदिर के महन्त आत्मापुरी के कथन भी तहसील न्यायालय में हुए हैं। श्री आत्मापुरी ने अपने कथन में कहा कि मुकेशदास जब नाबालिग था, तब से नारायणदास के शिष्य थे, जमीन गुरू शिष्प परम्परा की है, उन्होंने यह भी वसीयतनामें पर जो फोटो लगा है, वह महन्त नारायणदास का है तथा यह भी महन्त नारायण दास ने मुकेशदास के हक में वसीयत की है । आगे अपने कथन में यह भी कहा है कि श्री नारायणदास की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार आवेदक मुकेशदास ने ही किए, भण्डारे में खण्ड दर्शन, सन्यासी त्यागी, वैश्नव नाथ, निर्मला सभी साधु आए थे और सबने पंचायत करके मुकेशदास को गद्दी सौंपी थी । उन्होंने अपने कथन के अंत में यह भी बताया कि अनावेदक कैलाश नारायण ग्राम समचोली में एक बंधक के रूप में रह रहे हैं, काफी समय से सांखनी में नहीं रहते हैं ।

10. एक अन्य साक्षी पुरूषोत्तम पाण्डेय ने अपने कथन में बताया कि मुकेशदास 10 वर्ष की आयु से नारायणदास के शिष्य के रूप में बनकर रह रहे हैं । नारायणदास की मृत्यु के बाद मंदिर की व्यवस्था तथा भूमि पर खेती कर रहे हैं एवं यह भी कहा कि नारायणदास ने मुकेशदास के हित में वसीयत की थी ।

11. आवेदक के हित में की गई पंजीयत वसीयत के साक्षी प्रीतम सिंह तथा रमेशचन्द्र हैं । तहसील न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण क्रमांक 21/2007-08/अ-6 वसीयत के साक्षी रमेशचन्द्र गुप्ता तथा प्रीतम सिंह अपने अपने कथनों में बताया था कि श्री नारायणदास के द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति का दिनांक 24-6-2004 की वसीयत मुकेशदास के हित में की थी, जब वसीयतकर्ता के द्वारा वसीयत की गई थी, तब होश-हवाश में थे । वसीयतनामा उप पंजीयक, भितरवार के कार्यालय में पंजीयत हुआ था । वसीयतनामें पर साक्षीगण के समक्ष श्री नारायणदास ने अंगूठा लगाया था । वसीयत के दोनों साक्षियों ने कथनों से वसीयतनामें का पंजीयन होना तथा श्री नारायणदास द्वारा आवेदक के हित में वसीयत किया जाना शंका से परे प्रमाणित होता है ।

12. तहसीलदार द्वारा दिनांक 16-5-2008 को आवेदक के हित में वसीयत की गयी । तहसीलदार के आदेश के बाद वसीयत के साक्षी रमेशचन्द्र ने आवेदक से अवैध लाभ लेना चाहा और आवेदक द्वारा उसकी मांग न माने जाने के कारण साक्षी ने न्यायालय के समक्ष किये गये कथन से हटकर शपथ

पत्र दिया कि उसके समक्ष वसीयत नहीं की गई थी तथा कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये गये थे । ऐसे व्यक्ति के बाद में दिये गये शपथ पत्र का कोई महत्व नहीं है । शपथ पत्र से न्यायालय में उपस्थित होकर दिया गया कथन व्यर्थ नहीं होता है ।

13. इस न्यायालय के समक्ष मंदिर श्री राधा कृष्ण की ओर से वही व्यक्ति रमेशचन्द्र जो आवेदक के हित में की गयी वसीयत का साक्षी है, उपस्थित होकर अब यह कहता है कि विवादित भूमि मंदिर की है, जबकि राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि कभी भी किसी मंदिर के नाम अंकित नहीं रही है । वर्ष 2007 में नारायणदास की मृत्यु के बाद नामांतरण का प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित रहा है । मंदिर श्री राधा कृष्ण की ओर से कभी कोई न्यायालयीन कार्यवाही नहीं हुई, इस कारण सर्वप्रथम इस न्यायालय के समक्ष किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है ।

14. तहसील न्यायालय में मूल वसीयत प्रस्तुत की गई थी । अपर आयुक्त ने आवेदक के हित में की गई वसीयत को इस आधार पर शंकास्पद माना है कि आवेदक के हित में की गई वसीयत पर स्व. श्री नारायणदास का अंगूठा लगा है तथा अन्य दो वसीयतनामों पर नारायण दास के हस्ताक्षर हैं । उप पंजीयक तथा वसीयत के दोनों साक्षीगण ने अपने कथनों में यह कहा कि वसीयतनामें पर श्री नारायणदास ने अपना अंगूठा लगाया था । अत: अपर आयुक्त का निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. तहसील न्यायालय द्वारा मुकेशदास के नाम तथाकथित फर्जी वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया है, जो कि नितांत अवैध और अनुचित होने से भी अनुविभागीय अधिकारी द्वांरा अपास्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के विधिवत आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

2. आवेदक मुकेशदास द्वारा मूल वसीयतनामा पेश ही नहीं किया गया है, जब मूल वसीयतनामा ही पेश नहीं किया गया, तब उसे साबित होना नहीं माना जा सकता और न उसके आधार पर उसके नाम नामांतरण किया जा सकता था । इस तर्क के समर्थन में 2012 आर.एन. 133 (उच्च न्यायालय), 1992 आर.एन. 398 एवं 1999 आर.एन. 84 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

3. आवेदक मुकेश द्वारा तथाकथित वसीयतनामा को उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(ग) में विहित रीति से साबित नहीं किया गया है, इस कारण ऐसे वसीयतनामा के आधार पर उसका नामांतरण नहीं किया जा सकता था । मुकेशदास के वसीयतनामा के साक्षी रमेश चन्द्र गुप्ता ने अपने कथनों में नारायणदास द्वारा उसके सामने वसीयतनामा करने से इंकार किया गया है । इसी प्रकार दूसरी साक्षी प्रीतम सेन ने शपथ पत्र पेश कर उसके सामने वसीयत करने से इंकार किया है । इस प्रकार वसीयतनामा के अनुप्रमाणित दोनों साक्षियों से साबित नहीं है, इस कारण ऐसे वसीयतनामा के आधार पर मुकेशदास के नाम किया गया नामांतरण आदेश अवैध है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 1996 आर.एन. 420 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4. आवेदक मुकेशदास, अनावेदक क्रमांक 1 कैलाश नारायण के सगे भाई नारायणदास से असंबंधित व्यक्ति है और असंबंधित व्यक्ति के पक्ष में किए गए वसीयतनामा के आधार पर उसके नाम नामांतरण नहीं किया जा सकता । स्वयं नारायणदास द्वारा समाचार पत्र में इस आशय की आम सूचना प्रकाशित कराई गई थी । तर्क के समर्थन में 1995 आर.एन. 388 एवं 1994 आर.एन. 385 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

5. आवेदक मुकेशदास के पक्ष में तथाकथित वसीयतनामा द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 कैलाश नारायण के उत्तराधिकार का अपवर्जन किया गया है । ऐसे वसीयतनामा के आधार पर मुकेशदास के नाम नामांतरण नहीं किया जा सकता था । इस तर्क के समर्थन में 1995 आर.एन. 65 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

6. अनावेदक क्रमांक 1 नारायणदास का सगा भाई है एवं उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण के लिए हकदार व्यक्ति है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसके नाम नामांतरण किये जाने का विधिवत आदेश किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

7. तथाकथित पंचनामा के आधार पर अनावेदक क्रमांक 2 लखनलाल के नाम नामांतरण नहीं किया जा सकता । इस तर्क के समर्थन में 2011 आर.एन. 375 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

8. विवादित भूमि मंदिर की भूमियां न होकर अनावेदक क्रमांक 1 के सगे भाई नारायणदास के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियां हैं, जिसके नामांतरण के लिए अनावेदक क्रमांक 2 लखनलाल किसी भी तरह से हकदार नहीं है । लखनलाल द्वारा प्रस्तुत तर्क बेबुनियाद एवं प्रकरण से असंबंधित होने से स्वीकार किए जाने योग्य ही नहीं हैं ।

9. अनावेदक क्रमांक 2 लखनलाल द्वारा तथाकथित पंचनामा को जिसे वसीयत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे भी उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(ग) के अनुसार साबित नहीं किया गया है, इस कारण उसका नामांतरण किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । इस तर्क के समर्थन में 1996 आर.एन. 420 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

उनके द्वारा निगरानी सारहीन होने एवं आवेदक को नामांतरण की हकदारी या अधिकार न होने से खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नारायणदास द्वारा दिनांक 5-12-2007 को मंदिर मूर्ति राधा कृष्ण बड़ा मंदिर प्रबंधक कलेक्टर के हक में निष्पादित वसीयतनामा अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 का मंदिर एवं प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हित नहीं है, किन्तु इस ओर बिना ध्यान दिये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए उनके आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की भूमि है, मंदिर आबाद बना रहे, इसलिए भूमि मंदिर के नाम ही बनी रहे ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में जो वसीयतें हैं, वे संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष मूल वसीयतनामा प्रस्तुत भी नहीं किया गया है । इसी प्रकार अनावेदक क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं कर वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में नारायण दास का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि उनकी निजी भूमि है और प्रश्नाधीन भूमि, मंदिर की भूमि होने के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और न ही आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि मृतक भूमिस्वामी नारायण दास के वारिसान को ही प्राप्त होगी और अनावेदक क्रमांक 1 कैलाश नारायण के अलावा अन्य कोई मृतक भूमिस्वामी का वारिस नहीं होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 कैलाश नारायण को प्राप्त होगी । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी के स्थान पर उसके वारिसान अनावेदक क्रमांक 1 कैलाश नारायण का हक मानने में कोई त्रुटि नहीं की है । वसीयतनामा के साक्षी रमेश का आचरण उचित

नहीं है, क्योंकि पहले उसने अनावेदक क्रमांक 2 मुकेश दास के पक्ष में वसीयतनामा प्रमाणित किया था और बाद में उसी के द्वारा शिकायत की गई है । रमेश द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आयुक्त ने दिनांक 29-8-16 को उक्त शिकायत केवल कलेक्टर को अग्रेषित की गई थी, जिसे कलेक्टर द्वारा संज्ञान में भी नहीं लिया गया । अत: स्पष्ट है कि रमेश की शिकायत भी पूरी तरह आधारहीन है । उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 29-6-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष